निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 ज्येष्ठ 1934 (श0)

(सं0 पटना 217)   पटना, वृहस्पतिवार, 24 मई 2012

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

24 मई 2012

सं० एल0जी0-1-2/2012/लेजः 322—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 23 मई 2012 को अनुमति दे चुकें है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 7, 2012]

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) अधिनियम, 2012

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम–24, 2011) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में बिहार राज्य के विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।**– (1) यह अधिनियम बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. **धारा–2 में संशोधन ।**– धारा–2 में उप–धारा–(xxv) के बाद एक निम्नलिखित नयी उप–धारा–(xxvi) जोड़ी जाएगी :–

''(xxvi) ''बन्दोबस्त पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है जिला का बन्दोबस्त पदाधिकारी अथवा जिला के बन्दोबस्त पदाधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिए सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई पदाधिकारी।''

3. **धारा–11 में संशोधन ।**– धारा 11 की उप–धारा (1) की तीसरी लाइन में शब्द ''जिला के'' बाद तथा शब्द ''के हस्ताक्षर एवं मुहर के अधीन'' के पूर्व शब्द ''समाहर्त्ता'' शब्द ''बन्दोबस्त पदाधिकारी'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

4. **धारा–15 में संशोधन ।**– धारा–15 की उप–धारा (3) की द्वितीय लाइन में शब्द ''समाहर्त्ताओं'' के बाद तथा शब्द ''के पास'' के पूर्व शब्द ''तथा बंदोबस्त पदाधिकारियों'' अंतःस्थापित किये जाएंगे।

5. **धारा–16 में संशोधन ।**– धारा–16 की उप–धारा (ix) की प्रथम लाइन में शब्द ''किसी जिला के समाहर्त्ता'' के बाद तथा शब्द ''के द्वारा'' के पूर्व, शब्द ''/किसी जिला के बंदोबस्त पदाधिकारी'' अंतःस्थापित किये जाएंगे।

6. **धारा–17 में संशोधन ।**– धारा–17 की प्रथम लाइन में शब्द ''समाहर्त्ता'' के बाद शब्द ''या जिले का अन्य'' के पूर्व शब्द ''अथवा बंदोबस्त पदाधिकारी'' अंतःस्थापित किये जाएंगे।

7. **धारा–19 में संशोधन ।**– धारा–19 के द्वितीय लाइन में शब्द ''जिला के समाहर्त्ता'' के बाद तथा शब्द ''द्वारा'' के पूर्व शब्द ''अथवा बंदोबस्त पदाधिकारी'' अंतःस्थापित किये जाएंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

24 मई 2012

सं० एल0जी0-1-2/2012/लेजः 323—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 23 मई 2012 को अनुमत बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) अधिनियम, 2012 (बिहार अधिनियम 7, 2012) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 7, 2012]

The Bihar Special Survey and Settlement (Amendment) Act, 2012

AN

ACT

TO AMEND THE BIHAR SPECIAL SURVEY AND SETTLEMENT ACT, 2011 (BIHAR ACT 24, 2011).

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty-third year of the Republic of India as follows:-

1. *Short title, extent and commencement* **.** –(1) This Act may be called The Bihar Special Survey and Settlement (Amendment) Act, 2012.

   (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

   (3) It shall come into force at once.

2. *Amendment in Section-2* . – In Section-2 after Sub-Section (xxv), a following new Sub-Section (xxvi) shall be added:-

   "(xxvi) "Settlement Officer" means the Settlement Officer of the district or any other Officer authorized by the Government to discharge the functions of the Settlement Officer of a district."

3. *Amendment in Section-11* . – In the Second line of Sub-Section (1) of Section-11, after the words " under the hand and Seal of the" and before the words "of the district" the word "Collector" shall be substituted by the words "Settlement Officer".

4. *Amendment in Section-15* . – In the second line of Sub-Section-(3) of Section -15, after the word "Collectors" and before the words "for use" the words "and Settlement Officers" shall be inserted.

5. *Amendment in Section-16* . – In the second line of Sub-Section (ix) of Section- 16, after the words "Collector of any District" and sign of full stop " . " the words "/ Settlement Officer of any District" shall be inserted.

6. *Amendment in Section-17* . – In the first line of section-17, after the word "Collector" and before the words "or any other" the words "or the Settlement Officer" shall be inserted.

7. *Amendment in Section-19* . – In the third line of section-19, after the word "Collector of the District" and before the words "to this effect" the words "or the Settlement Officer" shall be inserted.

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 217-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in